सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 691 राँची, बुधवार, 29 भाद्र, 1938 (श०)

20 सितम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 जुलाई, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, चतरा का पत्रांक-1438/जि०ग्रा०, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 एवं पत्रांक-133/वि०, दिनांक 21 जुलाई, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1790, दिनांक 27 फरवरी, 2013, पत्रांक-6767, दिनांक 27 जुलाई, 2013 एवं संकल्प सं०-7295, दिनांक 23 अगस्त, 2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-17, दिनांक 19 जनवरी, 2017

संख्या-5/आरोप-1-498/2014 का.-7915-- श्री पारस नाथ यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-632/03, गृह जिला- सहरसा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चतरा सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1438/जि०ग्रा०, दिनांक

20 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1- दिनांक 9 जुलाई, 2012 को माननीय सांसद यह अध्यक्ष जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में श्री जनार्दन पासवान, माननीय विधायक द्वारा चतरा प्रखण्ड अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 में इन्दिरा आवास, उग्रवाद इन्दिरा आवास के चयन एवं पेंशन योजना के बैकलॉग बकाया राशि लाभुकों को नहीं मिलने की शिकायत की जाँच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा द्वारा समर्पित किया गया है जाँच प्रतिवेदन में सिकिद पंचायत से कुल 22 लाभुकों की जाँच की गई, लगभग 17500.00 रू० अग्रिम भुगतान किया गया है, किसी में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग है । उक्त प्रतिवेदन को दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में पुनः रखा गया । प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत कार्यवाही की कंडिका-2 में श्री पारसनाथ यादव, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के विरूद्व प्रपत्र-'क' आरोप पत्र गठित करने का निदेश दिया गया ।

आरोप सं०-2- दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 की जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-299 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 की समीक्षोपरांत पाया गया कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री यादव द्वारा लगभग दर्जनों लाभुकों की ऐसी दर्जनों योजनाऐं है, जिसमें राशि लगभग पूरी निकाल ली गई है । परन्तु किसी में दीवाल खेड़ा है, किसी में लीटन तक तथा किसी में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। राशि बिचैलियो के सांठ-गांठ से बंदरबांट कर ली गई है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-1790, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा श्री यादव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन में श्री यादव ने पत्र, दिनांक 3 जुलाई, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री यादव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6767, दिनांक 27 जुलाई, 2013 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-133/वि०, दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री यादव के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-7295, दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-17, दिनांक 19 जनवरी, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री यादव द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 पर बचाव बयान- इनका कहना है कि दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को आयोजित जिला स्तरीय निगरनी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका-2 का संबंध है, जिसके आधार पर इनके विरूद्व प्रपत्र-क गठित कर भेजा गया है, इनसे संबंधित नहीं है । इस कंडिका का संबंध तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर से है । आलोच्य अवधि में भी बंधन कुल्लु, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के रूप में कार्यरत थें । भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में केवल प्रमुख श्रीमती निशा कुमारी का हस्ताक्षर है एवं अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है । इससे स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्वंय जाँच नहीं किया गया है, अन्यथा वे सूची को सत्यापित करते ।

आरोप सं०-2 पर बचाव बयान- इनका कहना है कि इन्दिरा आवास के लाभुकों को द्वितीय किस्त राशि का भुगतान संबधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के अनुशंसा पर आवास का स्टील फोटोग्राफ संलग्न रहने के पश्चात ही इनके द्वारा किया गया । इन्दिरा आवास में लाभुकों को राशि का भुगतान करने में सरकार द्वारा जारी किए गये समय-समय पर दिशानिर्देश का अनुपालन इनके द्वारा हमेशा किया जाता रहा है, अतः यह आरोप भी निराधार है । अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक-229 दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 से उपायुक्त, चतरा को समर्पित जाँच प्रतिवेदन केवल इंदिरा आवास योजना से संबंधित है एवं इसमें वृद्वावस्था पेंशन का कोई वर्णन नहीं है । इंदिरा आवास योजना से संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा का उक्त जाँच प्रतिवेदन बिल्कुल भ्रामक एवं आधारहीन है । जाँच प्रतिवेदन के साथ किसी भी लाभुक का न ही अपनी बातों का कोई साक्ष्य ही दिया गया है । इस तथ्य का सत्यापन बहुत हद तक उनका जाँच प्रतिवेदन ही कर देता है । अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा ने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि इसी प्रकार सिकीद पंचायत में कुल 22 लाभुकों की जाँच की गयी लगभग 17500/- रू० अग्रिम भुगतान किया गया है, किसी में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न भौतिक जाँच प्रतिवेदन जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया है, को देखन से स्पष्ट होता है कि सूची के क्रमांक-1,2,4,5,10 से 16 एवं 19 पर अंकित लाभुक का इंदिरा आवास बने होने से संबंधी प्रतिवेदन दिया गया है । इंदिरा आवास लाभुकों को राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में जमा कर दिया जाता है । इसमें किसी बिचैलिया का भूमिका होना संभव

नहीं है । इंदिरा आवास लाभुक को लिंटल अथवा दिवाल कार्य पूर्ण कराने केपश्चात उन्हें आवास का ढलाई कराने हेतु संबंधित पंचायत सचिव के योजना पर्यवेक्षण के पश्चात किए गए अनुशंसा के आलोक में उन्हें सरकार द्वारा निर्देशित राशि का भुगतान ढलाई आदि कार्य के लिए किया गया है । इंदिरा आवास लाभुकों को राशि का भुगतान करने में इनके द्वारा हमेशा सरकार एवं उच्च पदाधिकारियों के द्वारा दिए गये निर्देश का पालन किया गया है । अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा द्वारा दिया गया जाँच प्रतिवेदन बिल्कुल भ्रामक एवं आधारहीन है । बगैर योजना स्थल का निरीक्षण किये एवं अभिलेख का अवलोकन किए ही जाँच प्रतिवेदन को तैयार किया गया है। अतः लगाये गये आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है ।

आरोप सं०-1 पर मंतव्य- जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 की बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्यवाही की कण्डिका-8 में उक्त आरोप वर्णित हैन कि कण्डिका-2 में । सम्भवतः टंकण भूलवष आरोप-पत्र में कण्डिका-8 के बदले कण्डिका-2 अंकित हो गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक में कही भी वर्ष 2009-10 एवं 10-11 में सामान्य इन्दिरा आवास अथवा उग्रवाद इन्दिरा आवास के लाभुकों के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता बरते जाने एवं पेंशन योजना की बकाया राशि लाभुकों को नही मिलने का उल्लेख नहीं है और न सुनवाई के दौरान ही इस आरोप के प्रमाण में कोई साक्ष्य, उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः यह आरोप बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है । अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सिकिद पंचायत के इन्दिरा आवास के वैसे लाभुकों की संख्या मात्र 18 अठारह है, जिन्हें 17500/- रूपये अग्रिम भुगतान किया गया है । उन अठारह लाभुकों में छः लाभुकों के नाम के सामने ‘‘बना है‘‘ अंकित है । शेष बारह लाभुकों के सम्बन्ध में अंकित है ‘‘नहीं बना है‘‘। आरोपी के बचाव बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त चतरा के द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2016 को हस्ताक्षरित मंतव्य में आरोप सं-1 के संदर्भ में मात्र इतना कहा गया है कि आरोपी का बचाव बयान आंशिक स्वीकार योग्य है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बचाव बयान में वर्णित कौन सा तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है । उपायुक्त के मंतव्य में यह स्वीकार किया गया है कि प्रथम अग्रिम एकरारनामा के बाद ही विमुक्त किया जाता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रथम अग्रिम देना नियम संगत है । सिकीद पंचायत की भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित सूची में जिन लाभुकों के सम्बनध में ‘नहीं बना है’ अंकित है, उसका प्रतिवाद आरोपी के बचाव बयान में भी नहीं किया गया है । इससे यह मानने का आधार दीखता है कि सत्यापन की तिथि तक 12 योजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो । अग्रिम राशि प्राप्त करने के

बावजूद योजना कार्य प्रारंभ नहीं करने के लिये मुख्य रूप से लाभुक ही जिम्मेवार है, किन्तु आरोपी भी अग्रिम देने के बाद योजना प्रारंभ कराने के लिये कुछ हद तक जिम्मेवार हैं । अतः प्रस्तुत साक्ष्यों से वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में सामान्य एवं उग्रवाद इन्दिरा आवास के लाभुकों के चयन में अनियमितता एवं पेंशन की बकाया राशि लाभुकों को न मिलने का आरोप तो प्रमाणित नहीं होता है । सिकीद पंचायत की बारह इन्दिरा आवास की योजनाओं में 17500/- रूपये अग्रिम देने के बाद भी योजना कार्य प्रारम्भ नहीं होने हेतु आरोपी को भी अंशतः जिम्मेवार माना जा सकता है, किन्तु इन्दिरा आवास योजना में प्रथम अग्रिम देना कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है ।

आरोप सं०-2 पर मंतव्य- इस आरोप के संदर्भ में आरोपी द्वारा प्रस्तुत बचाव बयान पर उपायुक्त चतरा के मंतव्य में पुनः आरोप संख्या-1 की भांति मात्र 'आंशिक स्वीकार योग्य है' अंकित है । इसके अलावे और कुछ नहीं कहा गया है । आरोप संख्या-2 का साक्ष्य भी अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक-229, दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन ही है । उक्त जाँच प्रतिवेदन में 23$18 ¾ 41 इन्दिरा आवास के लाभुकों का नाम पता का उल्लेख करते हुए अग्रिम के अनुसार कार्य नहीं होने का उल्लेख किया गया है । आरोपी के बचाव बयान में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि उनके द्वारा द्वितीय किस्त का भुगतान इन्दिरा आवास का दीवाल कार्य पूर्ण होने का लाभार्थी एवं पंचायत सेवक से युक्त फोटोग्राफ प्राप्त होने के पश्चात पंचायत सेवक के द्वारा छत ढलाई एवं प्लास्टर हेतु अग्रिम देने की अनुशंसा के पश्चात ही किया गया है । आरोपी के बचाव बयान पर उपायुक्त के मंतव्य में दो तरह की बातें कही गयी है । कही कहा गया है कि द्वितीय किस्त का भुगतान क्षेत्रीय कर्मचारी के प्रतिवेदन तथा योजना के साथ लाभुक तथा कर्मचारी के संयुक्त फोटोग्राफ के आलोक में किया जाता है तो कही यह कहा गया है कि प्रथम किस्त एकरारनामा के साथ तथा द्वितीय किस्त दीवार स्तर तक कार्य होने के उपरान्त ही विमुक्त किया जाता है । इस प्रकार उपायुक्त के मंतव्य में एक ओर जहाँ योजना पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय किस्त विमुक्त करने की बात कही गयी है वही दूसरी ओर दीवाल कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय किस्त विमुक्त करने की बात कही गयी है । उपायुक्त का मंतव्य है कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में 10-20% योजनाओं की भौतिक जाँच करनी चाहिये । यदि जाँच में आवास/योजना पूर्ण नहीं जाये जाते है एवं क्षेत्रीय कर्मचारी के प्रतिवेदन पर योजना पूर्ण मानते हुए राशि विमुक्त कर दी गयी है तो सम्बन्धित पंचायत सेवक/कर्मचारी के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने की अनुशंसा करनी चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है । मुझे भी यही जानकारी है कि इन्दिरा आवास के लिये द्वितीय किस्त का भुगतान दीवाल कार्य पूर्ण होने के पश्चात छत ढलाई एवं प्लास्टर आदि के लिये किया जाता है । आरोपी ने अपने बचाव बयान में कही यह नहीं

कहा है कि योजना पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है, अपितु सभी योजनाओं में द्वितीय किस्त का भुगतान दीवाल कार्य पूर्ण होने का लाभार्थी एवं पंचायत सेवक युक्त फोटोग्राफ एवं पंचायत सेवक के द्वारा छत ढलाई एवं प्लास्टर हेतु अग्रिम देने की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही किये जाने की बात कही है । उपायुक्त के मंतव्य में ऐसी एक भी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें दीवाल कार्य पूर्ण हुए बगैर अथवा दीवाल कार्य पूर्ण होने का लाभार्थी एवं कर्मचारी के फोटो के बगैर द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया हो । चूँकि किसी योजना को पूर्ण मानकर द्वितीय किस्त का भुगतान ही नहीं किया गया है, अतएव क्षेत्र भ्रमण के क्रम में योजना पूर्ण नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा नहीं किया जाना आरोपी की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है, उपायुक्त का यह मंतव्य तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है । मेरे द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में वर्णित योजनाओं की अद्यतन भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त चतरा से अनुरोध किया गया । उपस्थापन पदाधिकारी के माध्यम से कुछ योजनाओं के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा का पत्रांक-924, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 जो उपायुक्त, चतरा को सम्बोधित है, की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के प्रतिवेदन में उपरोक्त योजनाओं की अद्यतन स्थिति अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में वर्णित स्थिति से भिन्न है । यह सम्भव है कि योजना में बाद में प्रगति हुई हो, लेकिन दीवाल कार्य पूर्ण हुए बगैर द्वितीय अग्रिम देने का कोई मामला परिलक्षित नहीं हो रहा है । यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है कि इन्दिरा आवास का निर्माण लाभुक द्वारा स्वयं कराया जाता है । अतः इसे उन योजनाओं के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये, जिन्हें संवेदक के माध्यम से कराया जाता है । इन्दिरा आवास के लाभार्थी सामान्यतः गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति होते है, फलतः किसी-किसी लाभार्थी द्वारा इन्दिरा आवास की राशि का व्यय किसी अन्य कार्य में भी कर दिया जाता है । ऐसे लाभुकों की योजना की प्रगति अवरूद्ध हो जाती है । राशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में किया गया है तथा उपरोक्त योजनाओं में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के प्रतिवेदन के अनुसार कोई भी योजना ऐसी नहीं है, जिसमें कार्य नहीं हुआ हो । अतः बिचैलिया की सांठ-गांठ से राशि के बन्दरबांट का आरोप सही नहीं प्रतीत होता है । अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि दर्जनों लाभुकों की ऐसी दर्जनों योजनाएँ, जिसमें राशि लगभग पूरी निकाल ली गयी है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । एक तो यह आरोप बिल्कूल अस्पष्ट (अंहनम) है तथा इस आरोप की पुष्टि के लिये कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । आरोप-पत्र अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के साथ किसी भी लाभुक का इस आशय का बयान अथवा शिकायत पत्र संलग्न नहीं किया गया है,

जिससे यह माना जा सके कि बिचैलियों की सांठ-गांठ से राशिका बन्दबांट कर ली गयी है । जिन लाभुकों का नाम जाँच प्रतिवेदन में दिया गया है, उनमें कुछ के सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के प्रतिवेदन से आरोप सहीं नही प्रतीत होते है । जिन योजनाओं का नाम अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में दिया गया है किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है, उन योजनाओं के सम्बन्ध में अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में वर्णित आरोपों को प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित मानना उचित नहीं प्रतीत होता है । खासकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक 924 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के अवलोकन के पश्चात् यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा स्वयं योजनाओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है । भौतिक सत्यापन से संबंधित सूची में भी अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है तथा योजनाओं की जाँच की तिथि भी प्रतिवेदन में अंकित नहीं है । अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के जाँच प्रतिवेदन को प्रामाणिक साक्ष्य मानना गलत प्रतीत होता है । अतः आरोपी के विरूद्व वर्णित आरोप संख्या-2 सहीं नहीं प्रतीत होता है ।

श्री पारस नाथ यादव के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि सरकारी योजनाओं को पूर्ण कराने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की प्राथमिक जिम्मेवारी है। सिकदी पंचायत की 12 इंदिरा आवास की योजनाओं में प्रथम अग्रिम देने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं होने के लिए श्री यादव अंशतः जिम्मेवार है ।

समीक्षोपरांत, श्री पारस नाथ यादव, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चतरा, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(iv) के तहत दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 691--50